प्रेस नोट दिनांक 19–05–2019

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को चोरी के ट्रांसफार्मर स्टार्टर केबिल व तार सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराधियो के विरूद्व चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19–05–2019 .को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौराखुर्द से अभियुक्त मुराद पुत्र इस्लाम निवासी माली थाना गागलहेडी, सहारनपुर को चोरी के ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद्युत केबिल व तार (सम्बन्धित मु0अ0सं0 146/19, 147/19, 142/19 व 91/19) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त का अन्य एक साथी मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–मुराद पुत्र इस्लाम निवासी माल्ली थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

ट्रांसफार्मर स्टार्टर विधुत केबिल व तार

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै और मेरा साथी काला पुत्र जफर निवासी माल्ली थाना गागलहेडी, सहारनपुर मिलकर अलग–अलग स्थानों से विद्युत के सामान को चोरी करते थे। आज हमं चोरी के सामान को कबाडी की दुकान पर बेचने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकडा गया। अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः–

1–प्रभारी निरीक्षक श्री आदेश त्यागी थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

2–उ0नि0 गुलाब तिवारी थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

3–का0 1801 प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19–05–2019

जनपद पुलिस के परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकारियों/काउन्सलरो ने 02 पक्षो में कराया समझौताः–

आज दिनांक 19–05–2019 को पुलिस लाइन में महिला परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया। परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारो की काउसिलिंग करने के लिये महिला परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कल्पना त्यागी, म0कान्स0 पूजा व म0कान्स0 प्रतीक्षा की उपस्थिति में काउन्सलर श्री वासुदेव शर्मा निर्मोही, श्री कुल भूषण जैन, श्रीमती मीनू शर्मा व श्री राजेश जैन द्वारा काउसिलिंग की गई।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 22 पक्षो को नोटिस देकर काउसिलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें लडका व लड़की पक्ष के 09 लोग उपस्थित हुये। जिनकी काउसिलिंग करने के बाद काउन्सलर द्वारा 02 पक्षो में समझौता कराया गया। जो परिवार काउन्सलर के द्वारा मिलाये गये उनके नाम निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	श्रीमती रेणू पत्नी जोगिन्द्र पुत्री नाथीराम निवासी मौ0 बजांरान कस्बा व थाना नकुड, सहारनपुर।	जोगिन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर।
2	श्रीमती आसमा पुत्री मौ0 अफजल निवासी मौ0 शेखजाद थाना नानौता, सहारनपुर।	मुस्तफा पुत्र नजीर अहमद निवासी मौ0 छत्ता पदम सिनेमा के पास थाना गंगोह, सहारनपुर।